



योजना तथा वास्तुकला विद्यालय: नई दिल्ली
संसद के अधिनियम के तहत "राष्ट्रीय महत्व का संस्थान"
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)

SCHOOL OF PLANNING AND ARCHITECTURE NEW DELHI-2

An "Institution of National Importance" under an Act of Parliament
(Ministry of Human Resource Development, Government of India)

UNDERTAKING

(To be given by each and every employee of the School including all teaching and non-teaching members of staff, contract labour employed in the premises either for running canteen or as watch and ward staff or for cleaning or maintenance of the building /lawns and employees of service providers)

I _____ daughter/son/wife/husband of _____

Hereby give an undertaking that I will report promptly any case of ragging which comes to my notice, immediately to the authorities of the School as per UGC Regulations on curbing the menace of ragging in Higher Educational Institutions.

Signature : _____

Name : _____

Designation : _____

Dept/ Section : _____

Date : _____

वचनबंध (अंडरटेकिंग)

(यह विद्यालय के सभी शिक्षण और गैर शिक्षण स्टाफ सदस्यों, कैंटीन संचालकों, भवनों और लॉनों की सुरक्षा एवं रखरखाव करने वाले कर्मचारियों, सेवा प्रदाताओं द्वारा संविदा पर रखे गये कर्मचारियों सहित विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों द्वारा भरा जाना अनिवार्य है)

मैं _____ सपुत्र/सपुत्री/पत्नी/पति _____

एतद् द्वारा यह वचन (अंडरटेकिंग) देता/देती हूँ कि मैं उच्च शिक्षा सस्थानों में रैगिंग की रोकथाम हेतु बने विश्व विद्यालय अनुदान आयोग विनियमों के अनुसार विद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार की रैगिंग की घटना मेरी जानकारी में आने पर, उसकी सूचना तुरंत विद्यालय के सक्षम प्राधिकारी को दूंगा / दूंगी।

हस्ताक्षर : _____

नाम : _____

पद नाम : _____

विभाग/अनुभाग : _____

तिथि : _____